

बिहार सरकार  
पर्यावरण एवं वन विभाग।

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 27/12/2017

संख्या-भा०व०से०(स्था०)-11/2016 4089 /प०व० डॉ० सतेन्द्र, भा०व०से०, (BH:86),  
मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,  
पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि  
(वेतन स्तर-15 रुपये 1,82,200-2,24,100) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

संख्या-भा०व०से०(स्था०)-11/2016 4090 /प०व० श्री आशुतोष, भा०व०से०, (BH:88),  
सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं  
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान  
मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-15 रुपये 1,82,200-2,24,100) में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-भा०व०से०(स्था०)-11/2016 4090 /प०व० पटना-15, दिनांक-..../12/2017

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र  
में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-भा०व०से०(स्था०)-11/2016 4090 /प०व० पटना-15, दिनांक-27/12/2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप  
मुख्य (पर्यावरण एवं वन) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के  
प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,  
पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/सभी  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन  
संरक्षक/संबंधित पदाधिकारियों/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन  
विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ  
उपलब्ध कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ०आर० 22 (1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार  
विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :-

“Under R.F. 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new  
post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to  
be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new  
post with effect from the date of increment in the old post.”

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव